कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2020 दिनांकः 04.01.2021 के तहत श्री धीरेन्द्र प्रकाश बोहरा व्याख्याता, जीव विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, कालीबेरी, जोधपुर से राउमावि, रूदिया, भोपालगढ़, जोधपुर किया गया तथा श्री राम अवतार दाधीच का स्थानान्तरण राउमावि, बिलाड़ा, जोधपुर से राउमावि कालीबेरी, जोधपुर में किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व श्री धीरेन्द्र प्रकाश बोहरा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 539/2021 धीरेन्द्र प्रकाश बोहरा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 539/2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 13.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री धीरेन्द्र प्रकाश बोहरा के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 13.01.2021 की पालना में श्री धीरेन्द्र प्रकाश बोहरा को राउमावि, कालीबेरी, जोधपुर में यथावत रखते हुए श्री राम अवतार दाधीच का समायोजन राबाउमावि, बिलाड़ा, जोधपुर (219732) में व्याख्याता जीव विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदस्थापन/ समायोजन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहे। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/धीरेन्द्रपकाशबोहरा/539/को.के/21 दिनांकः– **03.02.21**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर